मोतीराम / पुसाराम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

२३/१२/२०२० पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि० 13/01/२०२१ को पेश हो।

13/01/२०२१ पत्रावली पेश। आज पीठासीन अधिकारी सरकारी कार्य भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 28/01/२०२१ को पेश हो।

२8/01/२०२१ पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दि० १२/०२/२०२१ को पेश हो।

१२/०२/२०२१ पत्रावली पेश। बहस प्रार्थी वकील सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.का.अधि. पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जिब्दोली में प्रार्थी की खरीदशुदा, खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा की कृषि भूमि ख.न. 12/मि रकबा 10.15 बीघा भूमि आई हुई है। प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ वक्त खरीद से पहले से मेढ कायम थी व उस पर चारों तरफ लोहे तारों से तारबंदी की हुई थी। अप्रार्थीगण बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो आए दिन प्रार्थी की वाद-ग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने पर उतारू रहते हैं व वादग्रस्त आराजी में से जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते हैं। अगर अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करके रास्ता निकालकर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रुपयों-पैसों में नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि राजस्व केस वाद के निस्तारण तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:04:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं उपभोग में अप्रार्थीगण न तो कोई दखलंदाजी करे उत्पन्न करे न किसी अन्य से कराए। मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश फरमावे।
	हमने पत्रावली व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी वकील पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना-पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण दिनांक 24.02.20 को एकराय होकर प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी पर आए तथा प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करते हुए जबरन रास्ता निकाल करके प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में जो कथन किया है कि "अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करते हुए" के संबंध में केवल कथन ही किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा वाद-ग्रस्त आराजी को खुर्द-बुर्द करने के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किए हैं इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र साक्ष्य/सबूतों के अभाव में अस्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।
	उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] होने के कारण खारिज [illegible] किया जाता है।
	Signature Not Verified Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary Date: 2021.03.16 18:04:10 IST Reason: SelfAttested
	सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी [illegible] (जोधपुर)

Scanned with CamScanner